भगवतीप्रसाद
अधिवक्ता
प्रतिभू
अनंत वैद्य

टीकमचन्द

सन्तू

वीरेन्द्र

Gaud

Dalchand

प्रतिवादी सं. 1 ल. 10 की ओर से रा. नी. प्रस्तुत किया गया जो वाद आंशिक करार शामिल पत्रावली किया गया वादी ने राजीनामा के आधार पर दावा विड्रॉ करने का निवेदन किया वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ल. 3 व 8 ल. 10 को सुना गया उन्होंने अपनी कहा कि आपसी समझौते से राष्ट्रीय लोक अदालत की मदद से राजीनामा हो गया है वादी अपने वाद को आगे चलाना नहीं चाहता है वादपत्र विड्रॉ करने का निवेदन किया। अतः वादी का वाद राजीनामा के आधार पर Withdraw कर खारिज करते हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच दि. 14.05.22 को पेश हो

14/05/22

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच में पेश हुई पक्षकारान के मध्य पूर्व में राजीनामा हो चुका है अतः पत्रावली में दावा इसी स्टेज पर Withdraw कर खारिज किया जाता है प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत